

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1983/श्रावण 31, 1905
No. 136] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1983/SRAVANA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 32-आई डी सी (पी एन)/83

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1983

विषय:—अप्रैल, 1983-मास, 1984 के लिए आयात-निर्यात नीति

वि० सं० आई पी सी/4/8(37)/34/83-84:—गया संगठित, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक
सूचना सं० 10 आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 15 अप्रैल, 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल,
1983-मास, 1984 के लिए आयात-निर्यात नीति (जिल्ड-1) की ओर ध्यान दिवाया जाता है।

सीति पुस्तक में निम्नलिखित संशोधनों को नीचे लिखे उचित स्थानों पर किया गया समझा जाएगा —

क्रम सं०	अध्यास-नियमित	सम्बन्ध	संशोधन
	सीति. 1983-84 (जिल्द-1)		
	की पृष्ठ संख्या		
1	2	3	4
1.	119	परिशिष्ट-4 में अनुमेय वर्तमान प्रविष्टि सं०. 7 के बाव मर्बो (निषेध) की सूची।	निम्नलिखित नयी प्रविष्टि जोड़ी जाएगी— “7क गाय की चर्बी”
2	143	परिशिष्ट 9 पैरा-9- जान- इस पैरा के अन्तर्गत आने वाले मांस बरों आदि में उल्थम टैलो/ के ध्योरे से “गाय की चर्बी” को फेंक निकास्य जायगा।	

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 32-ITC (PN)/83

New Delhi, the 22nd August, 1983

Subject: Import & Export Policy for April 1983-March 1984.

File No. IPC/4/8/(37)/34/83-84.—Attention is invited to the Import & Export policy for April, 1983-March 1984 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 10-ITC (PN)/83 dated the 15th April, 1983, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl.No.	Page No. of Import & Export Policy, 1983-84 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1	119	Appendix 4, List of Non-permissible Items (Banned).	After the existing entry No. 7, the following new entry shall be inserted “7-A. Beef tallow”
2	143	Appendix 9, Para 9-Tallow /fat of animal origin etc.	“Beef tallow” shall be excluded from the description of goods covered under this para.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.